# <u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

**पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 59/2013** **दायर दिनांकः 03.06.2013**

**उनवान**

**1.** पुष्पाबाई बेवा रामचन्द्र जाति गुर्जर

**2.** मनभर बाई पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर

**3.** मथरीबाई पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर

**4.** चाहन्या बाई पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासीगण रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादियागण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा. अटरू।
2. विद्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि ललित किशोर जाति ब्राहमण निवासी अटरू हाल कोटा (मृतक)

2/1 गिरिश कान्त शर्मा पुत्र ललित किशोर

2/2 दीप्ती शर्मा पुत्री ललित किशोर

2/3 शिखा शर्मा पुत्री ललित किशोर जाति ब्राहमण निवासी अटरू हाल निवासी आर्य समाज रोड छोटी महारानी स्कूल के सामने रामपुरा कोटा राजस्थान।

**प्रतिवादीगण**

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट</u>**

**उपस्थिति :–**
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

**आदेश** दिनाकः 25/08/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 मे खाता संख्या 77 का ख0नं0 1019 की 1.28 है0 भूमि स्थित है। जो वर्तमान में वादियागण के कब्जे काश्त में है। नकल जमाबन्दी संवत 2063–66 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त आराजी का मूल खातेदार कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहमण निवासी रतनपुरा था। जिसका स्वर्गवास 20–25 वर्ष पूर्व

हो चुका है। उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी जर्ये इन्तकाल उसके पुत्र जसवन्त कुमार पुत्र कन्हैयालाल के खाते दर्ज हो गई जिसकी भी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। जिसके कोई वारिस मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी कम 2 से मिलकर षडयन्त्र पूर्वक दिनांक 20.05.2014 को नामान्तरण संख्या 342 दौराने वाद ग्राम पंचायत से प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में भिन्न वैधानिक अधिकार व प्रक्रिया के तस्दीक करवा दिया है। जो खारिज होने योग्य हैं तथा उससे प्रतिवादी कम 2 को कोई हक–हकूक प्राप्त नहीं होते है। मूल खातेदार कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी को 5/–रू के स्टाम्प पर दिनांक 20.04.79 को वादिया गण के पति व पिता रामचन्द्र को बेचान कर कब्जा संभलादिया था तभी से उक्त आराजी वादियागण के कब्जे काश्त में है। उसके बाद कन्हैयालाल के पुत्र पप्पू उर्फ जसवन्त कुमार ने पुनः आराजी का बेचान वादियागण के पिता के पक्ष में कर पूर्व बेचान को स्वीकृति प्रदान करदी थी और तभी से उक्त आराजी वादियागण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। वादियागण उक्त आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारिणी हैं इस लिए उक्त आराजियात पर वादियागण को खातेदार कृषक घोषित कर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे। वादियागण की और से प्रतिवादी कम 1 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित कर दिया हैं परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद धारा 80(2) सी.पी.सी. के पृथक से प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश है। जिसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। बिना सहायता न्यायालय वादियागण उक्त आराजी पर वादियागण स्वयं को खातेदार कृषक घोषित नहीं करवा सकती इसलिए यह घोषणा का वाद माननीय न्यायालय में पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से उसे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी कम बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार श्रीमान तहसीलदार सा. अटरू व जिला कलक्टर महोदय बारां को नोटिस दिये जाने तथा अंतिम बार नोटिस की पालना नहीं होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद राजस्थानन टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क के दावा हाजा पेश है। जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादी निम्न आशय की पारित की जावेः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादियागण के कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 77 की ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 भूमि पर लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे के

आधार पर कब्जा मुखलफाना होने से वादियागण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादियागण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि बिन्दू संख्या 1 स्वीकार है कि ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 जमाबन्दी संवत 2063–66 में खातेदार जसवन्त कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी अटरू के नाम वाके ग्राम रतनपुरा मे ंदर्ज थी जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–74 में खाता संख्या 195 के ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 भूमि पर खातेदार विद्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी अटरू के नाम दर्ज है। नकल संलग्न है। बिन्दू संख्या 2 खातेदार जसवत कुमार के नाम उसके पिता कन्हैयालाल की मृत्यु पश्चात आई है। जसवन्त कुमार की मृत्यु हो जाने से एवं लाऔलाद फौत होने से उसकी बहिन विद्यादेवी के नाम भूमि दर्ज हुई। बिन्दू संख्या 3 अस्वीकार है कि वादीगणों के पिता रामचन्द्र पुत्र कंवरलाल अटरू ने कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहमण निवासी अअरू से जर्ये विकय पत्र के द्वारा भूमि कय की हो। बिन्दू संख्या 4 विकेता कन्हैयालाल द्वारा 5/– रू के स्टाम्प पेपर पर प्राइवेट बेचान दिनांक 31.05.1979 अनरजिस्टर्ड संलग्न है। शेष बिन्दू न्यायालय से संबंधित है। बिन्दू संख्या 5 न्यायालय से संबंधित है। है। बिन्दू संख्या 6 न्यायालय से संबंधित है। है। बिन्दू संख्या 7 न्यायालय से संबंधित है। है। बिन्दू संख्या 8 न्यायालय से संबंधित है। है। बिन्दू संख्या 9 न्यायालय से संबंधित है। है। बिन्दू संख्या 10 न्यायालय से संबंधित है।

प्रतिवादी कम 2/1, 2/2, 2/3 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 जिस तरह से दर्ज की गई है, स्वीकार नहीं है। उक्त मद में वर्णित आराजीयात प्रतिवादीगण के स्वामित्व की है। जिस पर वादिया तथा उसके वारिसान द्वारा जबरन कब्जा बना लिया है। वाद पत्र की मद नं0 2 जिस तरह से लिखी गई है, स्वीकार नहीं है। क्योंकि विद्या देवी तथा जसवन्त कुमार दोनो ही सगे भाई बहिन थे। जिसमें जसवन्त कुमार का अविवाहित रहते हुये स्वर्गवास हो गया था। इस वजह से जसवंत कुमार पुत्र कन्हैयालाल की एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी विद्यादेवी थी जिसके आराजी खाते दर्ज हुई है। वाद पत्र की मद नं0 3 पूरी ही मनघडन्त तथ्यों पर आधारित होने की वजह से स्वीकार नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण की आराजी

पर बहैसियत अतिक्रमी है। जिनको बेदखल करके प्रतिवादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसके लिये प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय में एक दावा पेश कर रखा है। जिसका वाद संख्या 10/2016 विद्यादेवी बनाम पुष्पाबाई अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। वादीगण चाहा गया अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकते। वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है।

<u>विशेष–कथन</u>

आराजी खाता संख्या 195 का ख0नं0 1019 का रकबा 1.28 है0 वाके माल रतनपुरा तहसील अटरू की विद्या देवी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की थी। जिसको स्वयं प्रतिवादी विद्यादेवी काश्त करती थी या मुनाफा काश्त से काश्त करवाती थी। अब विद्या देवी के स्वर्गवास होने के बाद में आराजी प्रतिवादीगण गिरीशकान्त शर्मा, दीप्ति शर्मा, शिखा शर्मा के नाम खाता दर्ज हो गई है। खातेदार विद्या देवी ने वादग्रस्त आराजी को वादिया पुष्पाबाई को सन 2012–13 में 30000/– रूपये में दो वर्षों के लिये मुनाफा काश्त पर जुतवाया था। उसके बाद सन 2014 मं धारासिंह को मुनाफा काश्त पर जुतवाई थी। जिसमें धारासिंह द्वारा फसल सरसो की बुवाई थी। उसके बाद में सन 2015 में पुष्पाबाई ने कहा कि मैं तुम्हारे को मुनाफा राशि दे दूंगी। लेकिन जमीन को मै ही काश्त करूंगी उसके बाद में प्रतिवादी गिरीशकान्त मुनाफा राशि मांगने गया तो पुष्पाबाई ने तथा उसके लड़कों ने मुनाफा राशि देने से स्पष्ट मना कर दिया। अब पुष्पाबाई का स्वर्गवास होने के बाद में वादीगण ने जबरन कब्जा बना लिया है। वादीगण प्रतिवादीगण के खाते की आराजी पर बहैसियत अतिक्रमी है। प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में वादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट का वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिसका मि0नं0 10/2016 बउनवान विद्यादेवी, गिरीशकान्त शर्मा वगै0 बनाम पुष्पाबाई वगै0 है। वादीगण उक्त वाद पत्र के माध्यम से आराजी को खाते दर्ज नहीं करवा सकते है। इस वजह से वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण का वाद संख्या 10/2016 स्वीकार फरमाया जावे। अतः प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर निवेदन करते है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाते हुये प्रतिवादीगण द्वारा पेश वाद संख्या 10/2016 डिक्री फरमाया जावे।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की जाती हैः–

**तनकी नं0 1—** आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी माल रतनपुरा तहसील अटरू की ख0नं0 1019 का रकबा 1.28 है0 का प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा दिनांक 20/5/2014 को नामान्तकरण संख्या 342 से आराजी अपने नाम खाता दर्ज करवादी, नामान्तकरण संख्या 342 अवैधानिक होने की वजह से काबिल निरस्तनीय है।

वादीगण

**तनकी नं0 2—** आया उक्त आराजी को खातेदार कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 20.04.79 को वादीगण के पूर्वजों को बेचान कर दिया था तभी से वादीगण आराजी पर काबिज काश्त होने की वजह से खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण

**तनकी नं0 3—** आया आराजी खाता संख्या 195 की ख0नं0 1019 का रकबा 1.28 है0 माल रतनपुरा तहसील अटरू की प्रतिवादी विद्यादेवी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। विद्यादेवी के स्वर्गवास के बाद आराजी उसके वारीसान के नाम दर्ज खाता हुई है।

प्रतिवादीगण

**तनकी नं0 4—** आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण को विद्यादेवी ने मुनाफा काश्त पर जुतवाई थी तथा धारासिंह को भी मुनाफा काश्त पर जुतवाई थी लेकिन वादीगण ने न तो मुनाफा राशि दी और न ही कब्जा छोडा। वादीगण अतिक्रमी है।

प्रतिवादीगण

**तनकी नं0 5—** दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत PW1 से pw4 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा शपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी PW1 मनभर बेवा अमृतलाल जाति गूजर निवासी गडरिया मौहल्ला अटरू द्वारा अपन शपथ पत्र में बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रतनपुरा की ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 आराजी पूर्व खातेदार कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 20.04.79 को मेरे पिता रामचन्द्र जी को 1650/—रू में बेचान कर कब्जा संभला दिया गया था तभी से रामचन्द्र जी उनके जीवन काल तक काबिज रहे तथा उनके बाद से हम वादियागण काबिज काश्त चली आ रही है।

साक्ष्यवादी PW2 बाबूलाल पुत्र प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 6 अटरू द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रतनपुरा में स्थित है। जिस पर रामचन्द्र गूजर द्वारा 20.04.79 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से उक्त आराजी पर रामचन्द्र के

जीवनकाल तक रामचन्द्र का कब्जा रहा तथा उसके बाद से वर्तमान तक वादियागण पुष्पाबाई वगै0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त आराजी को मैं अच्छी तरह से जानता हॅ क्योंकि उक्त आराजी के उत्तर दिशा में मेरी स्वयं की आराजी स्थित है।

साक्ष्यवादी PW3 गणेश शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रतनपुरा की ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में कन्हैयालाल जी ब्राहमण की खातेदारी में जिसे रामचन्द्र जी गूजर द्वारा दिनांक 20.04.79 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से उक्त आराजी पर रामचन्द्र तथा उसके बाद से उसके वारिसान वादियागण काबिज काश्त चले आ रह है। उक्त आराजी को वादियागण की खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादीगण को जबरन कब्जा नहीं करने बाबत पाबंद फरमाया जावे।

साक्ष्यवादी PW4 बृजगोविन्द पुत्र रामदयाल जाति गूजर निवासी गायत्रीनगर अटरू द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रतनपुरा की ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में खातेदार कन्हैयालाल अपने जीवन काल मे रामचद्र गूजर निवासी रतनपुरा को बेचान कर कब्जा संभला दिया था तभी लगभग 40 वर्षो से उक्त आराजी पहले रामचन्द्र तथा उसकी मृत्यु के बाद से उसके वारिसान वादियागण के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

साक्ष्यवादी के तहत DW1 पुष्पाबाई बेवा रामचन्द्र जाति गूजर निवासी रतनपुरा तहसील अटरू द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। ग्राम रतनपुरा की ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी का पूर्व का मूल खातेदार कन्हैयालाल अपने जीवन काल में उक्त आराजी को 5/– रू के स्टाम्प पर लिख पढी करवा कर मुबलिग 1650 /– रू में दिनांक 20.4.79 को बेचान कर रामचन्द्र को कब्जा संभला दिया जो वादिया शपथकर्ता का पति था। तथा तभी से उक्त आराजी पर रामचन्द्र के जीवन काल में उसका तथा उसकी मृत्यु उपरांत से वादियागण का कब्जा निरंतर बेरोटोक चला आ रहा है।

अभिभाषक प्रतिवादी श्री मोहनलाल सुमन द्वारा जिरह की गई। उक्त आराजी हमारे खाते में नहीं है पहले यह जमीन कन्हैयालाल के खाते में थी अभी यह विद्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल के खाते में है यह कहना गलत है कि यह जमीन विद्यादेवी द्वारा मुनाफे से जुपाई हो यह जमीन जो बैचान हुई थी जो हमारे नाम से नहीं हुई यह मेरे घर पति रामचन्द्र ने कन्हैयालाल से 1600 रू में ल थी उस पसमय वहां जंगल था पहले कन्हैयालाल जी ने रजिस्ट्री करवाने कलए कहा था

लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया बाद में वह फौत हो गये। यह बात सही है कि मे विद्यादेवी मेरे सामने नहीं आये और न ही हमने उनकी जमीन पर कब्जा नहीं किया यह भी सही है कि विद्याबाई व गिरिसकान्त ने दावा कब्जा लेने का कर रखा है। यह बात भी सही है कि यह जमीन विद्यादेवी प्रतिवादी के खाते की है मुझसे विद्यादेवी व गिरिशकानत ने कभी मुनाफा नहीं मांगा हमसे कोई मुनाफा मांगते तो देते यह बात गलत है कि प्रतिवादीगण को लडाई झगडा कर भगाया हो।

5. अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादी की बहस सुनी गई।

6. उपभय पक्षकारान की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

<u>**तनकी नं0 1**</u>– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी माल रतनपुरा तहसील अटरू की ख0नं0 1019 का रकबा 1.28 है0 का प्रतिवादी कृम 2 द्वारा दिनांक 20/5/2014 को नामान्तकरण संख्या 342 से आराजी अपने नाम खाता दर्ज करवादी, नामान्तकरण संख्या 342 अवैधानिक होने की वजह से काबिल निरस्तनीय है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम रतनपुरा की उक्त विवादित आराजी को वादीगण के पति व पिता रामचन्द्र गुर्जर ने मूल खातेदार कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द ब्राहमण से दिनांक 30.04.1979 को जरिये बैचान इकरारनामा ( 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर ) से कृय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। खातेदार कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद उनके वारीसान खातेदार जसवंत कुमार पुत्र कन्हैयालाल ने उक्त आराजी को पुनः जरिये इकरार नामा ( कृमशः 5 व 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर) दिनांक 20.06.1982 एवं 19.06.1985 से वादीगण के पिता रामचन्द्र को बेचान कर दी थी। वादीगण के पिता वर्ष 1979 से वर्ष 2013 तक यानी करीब 34 वर्षों तक विवादित आराजी पर लगातार निर्विवाद कब्जे काश्त चले आ रहे थे। खातेदार जसवन्त पुत्र कन्हैयालाल की कई वर्षों पुर्व लाऔलाद मृत्यु हो गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा वादी की कृयशुदा व शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादी कृम 1 राजस्व विभाग के कार्मिक एवं सरपंच ग्राम पंचायत खेडलीगंज के साथ सांठगांठ व षडयंत्र कर प्रतिवादी कृम 2 विद्यादेवी को खातेदार जसवंत का वारीसान बताकर और बहन शान्तीबाई को लाऔलाद फौत बताकर प्रतिवादी कृम 2 के पक्ष में अवैध तरीके से नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 20.03.2014 तस्दीक करा लिया गया।

जबकि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर विगत 50 वर्षों से कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्यप्रतिवादी में स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हे विवातित आराजी/खेत को कभी देखा ही नहीं है। प्रतिवादीगण सिर्फ रिकार्ड मे गलत तरीके से दर्ज हुए नाम का अनुचित फायदा उठाने की नियत से न्यायालय में आये है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 342 को खारिज करते हुए ग्राम रतनपुरा के ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी कम 2/1 से 2/3 के मामाजी जसवन्त कुमार के खाते दर्ज थी जिस पर वादियागण द्वारा मुनाफा काश्त पर लेकर बाद में जबरन कब्जा कर लिया था। प्रतिवादीगण जसवन्त कुमार के कानूनी वारिसान हैं और इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरण संख्या 342 तस्दीक किया गया था। प्रतिवादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार है जबकि वादियागण अतिक्रमी है और अतिक्रमी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः वादियागण का वाद खारिज फरमाकर प्रतिवादीगण द्वारा पेश वाद संख्या 10/2016 डिक्री फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश जमाबन्दी संवत 2063–66 प्रदर्श पी 1 के अनुसार ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 जसवंत पुत्र कन्हैयालाल ब्राहमण के खाते दर्ज है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा पेश जमाबन्दी संवत 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी मृतक विद्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी ललित किशोर जाति ब्राहमण के खाते दर्ज है। ग्राम रतनपुरा की जमाबन्दी संवत 2031–34, 2035–38 एवं 2039–42 प्रदर्श पी 4 से पी 6 के अनुसार विवादित आराजी साबिक ख0नं0 1025/1260 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा हाल ख0नं0 1019 कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहमण के खाते दर्ज रिकोर्ड थी। वादियागण द्वारा अपने पति व पिता द्वारा रमेशचन्द पुत्र कंवरलाल द्वारा विवादित आराजी को कय कर कब्जा प्राप्त करने के दावे के समर्थन में 5 रूपयें के स्टाम्प पेपर पर बेचान इकरार दिनांक 31.05.1979, 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर बेचान इकरार नाम दिनांक 20.06.1982 एवं 10 रू के स्टाम्प पेपर पर किये गये बेचान इकरारनामा दिनांक 19. 06.1985 आदि की फोटोकॉपीयां पेश किये गये। उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया साबित होता है कि वादियागण के पिता ने ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी कय करने के लिए पहले मूल खातेदार कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द ब्राहमण के साथ एवं बाद में उनके पुत्र जसवन्त पुत्र

कन्हैयालाल के साथ बेचान इकरारनाम कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादियागण द्वारा साक्ष्य के दौरान उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। अतः अब न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या उक्त दस्तावेजों की फोटोकोपीयों को न्यायालय मे साक्ष्य के रूप में ग्राहया किया जा सकता है और क्या यह दस्तावेजों के तथ्यों की सुसंगतता/दस्तावेजों की प्रमाणिकता साबित होती है ?

इस परिपेक्ष्य में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की **धारा 64 से 66 के प्रावधानों** को रेफर किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है–

**धारा 64** :– धारा 64 के अनुसार कुछ परिस्थितियों को छोडकर, दस्तावेजों को केवल प्राथमिक साक्ष्य/प्राइमरी इविडेंस के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ट साक्ष्य नियम की अभिव्यक्ति है। यह नियम कहता है कि जहां प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध हो वहां कुछ परिस्थितियों को छोडकर, द्वितीय साक्ष्य अदालत में ग्राहय नहीं किये जाना चाहिए। जहां आक्समिक परिस्थितियां हो वहां द्वितीयक साक्ष्य दिये जाने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों/अवस्थाओं का उल्लेख अधिनियम की धारा 65 में दिया गया है।

**धारा 65** यह कहती है कि वे अवस्थाऐं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा– किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्न अवस्थाओं में दिया जा सकेगा – (क) जबकि यह दशिृत कर दिया जाए या प्रतीत होता हे कि मुल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्तयधीन है जिसके विरूद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना है, अथ्पावा जो न्यायालय कि आदेशिक की पहुंच के बाहर है या उसे ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता है।

(ख) जब ि कमूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरूद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया है।

(ग) जब कि मूल नष्ट हो गया है या खे गया है, अथवा जबकि उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा अनुद्रभुत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नही कर सकता,

(घ) जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता

(ड) जब कि मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है,

(च) जब कि मूल ऐसा दस्तावेज है कि जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत किसी अन्य विधि द्वार अनुज्ञात है।

(छ) जब कि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती ओर वह तथ्य, जिसे साबित किया जाना है, संपूर्ण का साधारण परिणाम है।

अवस्थाओं (क), (ग) और (घ) में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राहा है,

अवस्था (ख) में यह लिखित स्वीकृति ग्राहा है,

अवस्था (ड) या (च) में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राहा है, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीय साक्ष्य ग्राहा नहीं है,

अवस्था (छ) में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसे दस्तावेजों की परीक्षा करने मे कुशल है।

इस न्यायालय के समक्ष वादियागण द्वारा पेश द्वितीयक साक्ष्य (बेचान इकरारनामें की फोटोकॉपीयां) को तभी स्वीकार किया जायेगा जब धारा 65 में उल्लेखित शर्ते पूरी होती हो। अर्थात द्वितीयक साक्ष्य देते समय किसी पक्षकार को पहले धारा 65 में तय की गई परिस्थितियों या अवस्थाओं को दर्शाने के लिए साक्ष्य देना होगा और उसके बाद उस दस्तावेज के प्रमाण में द्वितीयक साक्ष्य पेश करना होगा। अदालत के सामने साक्ष्य आने के बाद ही अदालत यह राय बना सकेगी क्या वास्तव में धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निर्धारित की गई। परिस्थितियां, जिनके अन्तर्गत द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार है, मौजूद है या नहीं।

**इस प्रकरण में वादियागण द्वारा न तो वाद पत्र व फर्द दस्तावेज के साथ संलग्न बेचान तहरीर की मूल प्रति पेश गई है और न ही इन तहरीर को साक्ष्य के दोरान प्रदर्शित करवाया गया है। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान न तो प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने का कारण उल्लेखित किया है और न ही धारा 65 में उल्लेखित किसी ऐसी परिस्थिति का उल्लेख किया है जिसके आधार पर उक्त बेचान तहरीर की फोटोकापीयों को साक्ष्य के रूप में ग्राहय किया जा सके। अतः वादियागण द्वारा पेश उक्त द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में ग्राहय नही किया जा सकता है।**

**उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेक्षण के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 1 वादियागण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।**

**तनकी नं0 2**— आया उक्त आराजी को खातेदार कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 20.04.79 को वादीगण के पूर्वजों को बेचान कर दिया था तभी से वादीगण आराजी पर काबिज काश्त होने की वजह से खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। ग्राम रतनपुरा की जमाबन्दी संवत 2031—34 प्रदर्श 5, 2035 से 2038 प्रदर्श 4, व 2039—2042 प्रदर्श 6 के अवलोकन अनुसार ख0नं0 1260/1025 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदार कन्हैयालाल बल्द मूलचन्द जाति ब्राहमण निवासी अटरू के खाते दर्ज थी। भू—प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 के अनुसार साबिक ख0नं0 1025 मिन रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा का नवीन ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 बनाया गया है। मुताबिक जमाबंदी 2063—66 प्रदर्श 1 खातेदार कन्हैयालाल वल्द मुलचन्द क मृत्यु के बाद विवादित आराजी उनके पुत्र जसवंत कुमार के खाते दर्ज हुई। खातेदार जसवंत कुमार पुत्र कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत रतनपुरा द्वारा फौती इंतकाल संख्या 142 दिनांक 20.05.2014 (प्रदर्श 2) तस्दीक कर खातेदार जसवंत कुमार को लाऔलाद फौत मानकर उनकी दो बहिनों विद्यादेवी व शांतिदेवी को कानूनी वारीसान माना गया। इनमें से एक बहिन शांतिबाई को भी लाऔलाद फौत मानकर केवल विद्याबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी कोटा के पक्ष में इंतकाल खोला गया।

अभिभाषक वादीयागण द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम रतनपुरा की उक्त विवादित आराजी को वादीयागण के पिता जी रामचन्द्र पुत्र कवंरलाल जाति गुर्जर द्वारा 5 रू के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 20.04.1979 से बेचान इकरारनामा द्वारा मूल खातेदार कन्हैयालाल ब्राहमण को प्रतिफल राशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से लगातार शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में चले आ रहे थे। मूल खातेदार कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र/खातेदार पप्पू उर्फ जसवंत पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण के साथ 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 19.06.1981 को पुनः बेचान इकरारनामा कर पुनः प्रतिफल राशि का भुगतान कर कब्जे काश्त को जारी रखा। वादीयागण के पिता की मृत्यु के बाद वादीयागण शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में चली आ रही है। अभिभाषक वादीयागण द्वारा आगे कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 2 विद्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल एवं उसके वारीसों ने कभी भी विवादित आराजी को देखा तक नहीं है। स्वयं प्रतिवादी क्रम 2/1 गिरीशकान्त शर्मा द्वारा अपने सशपथ बयानों में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने विवादित भूमि को देखा तो है लेकिन उसके पूर्व दिशा में किसकी जमीन है, मुझे पता नहीं है। आस पास की दिशाओं में किसके खेत है मुझे पता नही है। इस भूमि को पप्पू उर्फ जसवंत कुमार द्वारा रामचन्द्र गुर्जर को बेचान कर दिया है तो इसका मुझे पता नहीं है। इस जमीन

को मैने स्वयं ने कभी काश्त नहीं किया लेकिन मैने धारासिंह से वर्ष 2014—15 में काश्त करवाई है जिसका मैने स्टाम्प लिखा रखा है। अभिभाषक वादियागण ने पुनः तर्क किया प्रतिवादी क्रम 1 राजस्थान सरकार ने अपने जवाब दावा दिनांक 05.06.2018 में विवादित आराजी पर वादियागण का कब्जा काश्त चला आना बताया गया है। वर्तमान में वादियागण —पुष्पाबाई एवं उनकी लडकीयों का कब्जा है। **यदि विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने वादियागण को मुनाफा काश्त में जुपाया तो उसका कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया है। साथ में ही प्रतिवादीगण ने पहली बार वर्ष 2014—15 मे विवादित आराजी को धारासिंह नाम के व्यकित को जुपाये जाने का कथन किया था लेकिन 1979 से लेकर 2014 तक के कब्जे काश्त के बारे में कभी कोई कथन नहीं किया।** अतः विवादित आराजी पर वादियागण के पति व पिता व बाद में स्वयं वादिया का सन 1979 से लगातान शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है और इसलिए प्रतिवादीगण के धारा **63(1)(4) आर0टी0एक्ट0** के अधीन खातेदारी अधिकार समाप्त होकर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीयागण के खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो चुके है। अतः ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी पर वादीयागण को धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 में खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा अभिभाषक वादियागण की उक्त बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण मृतक खातेदार जसवंत कुमार के एक मात्र वारिसान है और स्वयं प्रतिवादी विद्यादेवी कभी कभी उक्त आराजी को काश्त करती थी और कभी कभी मुनाफा काश्त से काश्त करवाती थी। विद्यादेवी ने विवादित आराजी को 30 हजार रू में 2 वर्षों के लिए पहले वादियागण को मुनाफा काश्त में जुपाई थी। उसके बाद 2014 में धारासिंह को मुनाफा काश्त पर जुपाई थी और पुनः 2015 में पुष्पाबाई को मुनाफा काश्त पर जुपाई थी लेकिन जब पुष्पाबाई ने मुनाफा काश्त की राशि देने से इंकार कर दिया तो प्रतिवादी द्वारा धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0 में बेदखली का वाद संख्या 10/2016 माननीय न्यायालय में पेश किया था। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है और यदि वादियागण तथा कथित बेचान इकरारनामें के आधार पर अधिकार चाहते है तो इन्हे विशेष अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत सक्षम सिविल न्यायालय में दावा करना चाहिए। अतः वादियागण का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का वाद 10/2016 स्वीकार किया जाकर वादियागण को बेदखल किया जावे। अभिभाषक वादियागण द्वारा भी प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में कोई भी न्यायिक दृष्टान्त

पेश नहीं किये। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी ऐसा न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 या 88 या अन्य में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। **अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तनकी नं0 1 के निर्णय के आधार पर तनकी नं0 2 वादियागण के विरूद्ध निर्णत की जाती है।**

**तनकी नं0 3**– आया आराजी खाता संख्या 195 की ख0नं0 1019 का रकबा 1.28 है0 माल रतनपुरा तहसील अटरू की प्रतिवादी विद्यादेवी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। विद्यादेवी के स्वर्गवास के बाद आराजी उसके वारीसान के नाम दर्ज खाता हुई है। इस साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि ग्रम रतनपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी क्रम 1 राजस्थान सरकार ने अपने जवाब दावा दिनांक 05.06.2018 में विवादित आराजी पर वादियागण का कब्जा काश्त चला आना बताया गया है। प्रतिवादी क्रम 2/1 ने साक्ष्य में जिरह के दौरान स्वयं स्वीकार किया हे कि उसे विवादित आराजी के आस पास के खेतों व काश्तकारों की कोई जानकारी नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा आस पडोस के काश्तकारों के साक्ष्य भी न्यायालय मे पेश नही किये गये है। वादियागण द्वारा पेश साक्ष्य पी0डब्ल्यू 1 से पी0डब्ल्यू 4 ने अपने बयानों मे वादियागण का कब्जा काश्त चला आना बताया है। **अतः विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आना या होना साबित नहीं होता है।** प्रतिवादीगण द्वारा पेश नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 20.05.2014 प्रदर्श 2 के अवलोकन से जाहिर है कि खातेदार जसवन्त कुमार पुत्र कन्हैयालाल की मृत्यु हो जाने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08.09.2012 के आधार पर ग्राम पंचायत खेडलीगंज द्वारा मूल प्रतिवादी विद्यादेवी पुत्री कन्हेयालाल पत्नि ललित किशोर निवासी कोटा के पक्ष में फौती नामान्तरण तस्दीक किया गया था। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी वर्तमान में भी मृतक विद्याबाई के खाते दर्ज है न कि उसके वारीसान प्रतिवादी क्रम 2/1 से 2/3 के खाते दर्ज है। अतः तनकी नं0 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी नं0 4**– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण को विद्यादेवी ने मुनाफा काश्त पर जुतवाई थी तथा धारासिंह को भी मुनाफा काश्त पर जुतवाई थी लेकिन वादीगण ने न तो मुनाफा राशि दी और न ही कब्जा छोडा। वादीगण अतिक्रमी है। इसे साबित करने का

भार प्रतिवादीगण पर था। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा पहले वादियागण व धारासिंह नामक व्यक्ति को मुनाफा काश्त पर जुतवाई हो।

**अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।**

**7.** तनकी नं0 1 ता 4 के विवेचन, विश्लेषण एंव निर्णय के आधार पर यह भी साबित होता है कि ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 1019 रकबा 1.28 पर खातेदार जसवन्त कुमार पुत्र कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद भले ही मृतक प्रतिवादी विद्यादेवी के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक होकर खातेदारी दर्ज हो गई है लेकिन प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादियागण ही विवादित आराजी पर जसवन्त कुमार पुत्र कन्हैयालाल के समय से ही कब्जा काश्त चली आ रही है। वादियागण या उनके पति/पिता रामचन्द्र का विवादित आराजी पर लम्बे समय से चला आ रहा कब्जा वैध है या अवैध– **पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रतिवादीगण का वाद संख्या 10/2016 अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0 भी खारिज किये जाने योग्य है।**

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीयागण अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 का वाद खारिज योग्य है।

## –::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 पर पेश वादीयागण वाद संख्या 59/2013 एवं प्रतिवादीगण का संलग्न वाद संख्या 10/2016 दोनों खारिज किये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>**
**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 59/2013** **दायर दिनांकः 03.06.2013**

**उनवान**

1. पुष्पाबाई बेवा रामचन्द्र जाति गुर्जर
2. मनभर बाई पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर
3. मथरीबाई पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर
4. चाहन्या बाई पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासीगण रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादियागण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा. अटरू।
2. विद्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि ललित किशोर जाति ब्राहमण निवासी अटरू हाल कोटा (मृतक)

2/1 गिरिश कान्त शर्मा पुत्र ललित किशोर

2/2 दीप्ती शर्मा पुत्री ललित किशोर

2/3 शिखा शर्मा पुत्री ललित किशोर जाति ब्राहमण निवासी अटरू हाल निवासी आर्य समाज रोड छोटी महारानी स्कूल के सामने रामपुरा कोटा राजस्थान।

**प्रतिवादीगण**

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट</u>**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ............X................ रूबरू..............X..............................
बहाजिर :-
वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

मिनजानित मुदई रूबरू .........................................................................X.................................................

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 1019 रकबा 1.28 है0 पर पेश वादीयागण वाद संख्या 59/2013 एवं प्रतिवादीगण का संलग्न वाद संख्या 10/2016 दोनों खारिज किये जाते है।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज ..................X..................... मुबालिक ................X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X....................... ...........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..............X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **25.08.2022** को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| मुदई | | मुदालयह | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**